संख्या-452/2020/2190/22-2-2019-17(42)/2009

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2020**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री सुम्मेरी, निवासी जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-26-06-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री सुम्मेरी, गोविन्दपुरकला, थाना-बिलारी, वर्तमान थाना-मूढ़ापाण्डे, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दीवानी मुकदमेबाजी एवं चोरी व मारपीट की रिपोर्ट लिखाने की रंजिश में दिनांक 03.05-1977 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व भाले से गजराम सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-555/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 10.04.1978 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.1988 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी को अन्य वाद में सत्र परीक्षण संख्या-867/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 14.08.1991 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-555/1977 में दिनांक 12.05.2019 तक 27 वर्ष 01 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 36 वर्ष 01 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा सत्र परीक्षण संख्या-867/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत 27 वर्ष 03 माह 03 दिन अपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भविष्य में अपराध किये जाने से इंकार नहीं किये जा सकने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दीवानी मुकदमेबाजी एवं चोरी व मारपीट की रिपोर्ट लिखाने की रंजिश में दिनांक 03.05-1977 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व भाले से गजराम सिंह नामकव्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समय पूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री सुम्मेरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महेन्द्र (बन्दी संख्या-45442) पुत्र श्री सुम्मेरी, निवासी जनपद-मुरादाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-452/020/2190(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-452/2020/2190/22-2-2019-17(42)/2009

दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र (बन्दी संख्या-45442) पुत्र श्री सुम्मेरी, गोविन्दपुरकला, थाना-बिलारी, वर्तमान थाना-मूढ़ापाण्डे, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दीवानी मुकदमेबाजी एवं चोरी व मारपीट की रिपोर्ट लिखाने की रंजिश में दिनांक 03.05-1977 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व भाले से गजराम सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-555/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 10.04.1978 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.1988 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी को अन्य वाद में सत्र परीक्षण संख्या-867/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 14.08.1991 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-555/1977 में दिनांक 12.05.2019 तक 27 वर्ष 01 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 36 वर्ष 01 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा सत्र परीक्षण संख्या-867/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत 27 वर्ष 03 माह 03 दिन अपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भविष्य में अपराध किये जाने से इंकार नहीं किये जा सकने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दीवानी मुकदमेबाजी एवं चोरी व मारपीट की रिपोर्ट लिखाने की रंजिश में दिनांक 03.05-1977 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व भाले से गजराम सिंह नामकव्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समय पूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री सुम्मेरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।